इकाई 17 भारत में स्वायत्तता आंदोलन और राज्यों का पुनर्गठन

इकाई की रूपरेखा

17.0 उद्देश्य

17.1 प्रस्तावना

17.2 सैद्धांतिक विषय वस्तु

- 17.2.1 प्रादेशिकता बनाम संस्कृति
- 17.2.2 बहु-सांस्कृतिक राज्य में सरकार
- 17.2.3 "तिरछी-काट विभेद" ("Cross-cutting Cleavages")

17.3 औपनिवेशिक अनुभव

- 17.3.1 'अंग्रेज' एवं 'देशी' भारतीय
- 17.3.2 प्रेसीडेन्सीज से प्रदेशों तक
- 17.3.3 धर्म बनाम भाषा

17.4 विभाजन के बाद भारत

- 17.4.1 प्रदेशों से राज्य तक
- 17.4.2 पिछडे क्षेत्र

17.5 राज्यों का भाषायी पुनर्गठन

- 17.5.1 आंध्र राज्य का निर्माण
- 17.5.2 1956 में राज्यों का पुनर्गठन
- 17.5.3 नए राज्यों का निर्माण
- 17.5.4 उत्तर-पूर्वी भारत का पुनर्गठन
- 17.5.5 केन्द्र शासित क्षेत्रों के दर्जे में वृद्धि

17.6 विश्लेषण एवं निष्कर्ष

- 17.6.1 राज्य का दर्जा प्राप्त करने की शक्ति एवं लाभ
- 17.6.2 अस्मिता एवं राज्यवाद

17.7 सारांश

17.8 शब्दावली

17.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

17.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

17.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य भारत में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कारणों एवं प्रक्रियाओं की आपके लिए व्याख्या करना है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपको जानकारी हो सकेगी :

- इस अन्त:संबंध की प्रकृति की;
- किसी राज्य की सीमाओं के निर्धारण से जुड़े प्रश्नों की;
- उन कारणों की जिनसे जनता राज्यवाद को प्राप्त करना चाहती है; और
- उन तरीकों की जिनसे नए राज्यों का निर्माण हुआ और भारत में राज्य सीमाओं में बदलाव की।

17.1 प्रस्तावना

भारत का संविधान केन्द्रीय सरकार को विद्यमान राज्यों में से नए राज्य बनाने या दो राज्यों का एक-दूसरे में विलय करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को राज्यों के पुनर्गठन का नाम दिया गया है। इस पुनर्गठन का आधार भाषायी, धार्मिक, जातीय या प्रशासनिक हो सकता है।

17.2 सैद्धांतिक विषय वस्तु

अधिकतर आधुनिक राज्य विशाल राज्य हैं और वे बहुत-सी सांस्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। ऐतिहासिक अनुभवों ने इन समस्याओं को और जटिल कर दिया है। शासन-कला के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राज्यों को तार्किक तरीके से ऐसे पुनर्गठित किया जाए जिससे सरकार की प्रक्रिया इन जटिलताओं को हल करने में सामंजस्य कर सके।

17.2.1 प्रादेशिकता बनाम संस्कृति

वर्तमान राज्य प्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या आधुनिक राज्य की प्रादेशिक सीमाओं तथा सांस्कृतिक सीमाओं के बीच की असंगति है। अधिकतर आधुनिक राज्य विशाल राज्य हैं। जिनमें कई प्रकार के धार्मिक, भाषायी तथा जातीय (जन-जातियाँ) समूहों के लोग रहते हैं। कुछ मामलों में ये संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह एक-दूसरे से घुल-मिल गए हैं। कुछ अन्य मामलों में जैसे कि कनाडा तथा स्विट्ज़रलैण्ड के विशिष्ट क्षेत्रों में अलग-अलग बसे हुए हैं। जब धार्मिक, भाषायी तथा जातीय (जन-जातीय) समूह अलग-अलग विशिष्ट क्षेत्रों में बसे हो तब उनको अलग राज्यों या प्रदेशों में गठित कर क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है। इस प्रक्रिया को प्रादेशिकता या क्षेत्रीयकरण कहते हैं।

जब भी इस प्रकार की प्रादेशिकता या क्षेत्रीकरण संभव है तब भी प्रत्येक प्रदेश या क्षेत्र में ऐसे लोग होंगे जो दूसरे प्रकार की संस्कृति से संबंधित होते हैं। किसी प्रदेश या क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में यह विशेष रूप से सत्य है।

यह समस्या उन देशों में अधिक विकराल रूप ग्रहण करती है जो अतीत में औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे हों। औपनिवेशिक शासकों ने जहाँ कहीं शासन किया वहीं पर क्षेत्रों का ज़बरन अधिग्रहण किया। जब वे उन क्षेत्रों में शासन करते थे तब उन्होंने अपने शासन के अधीन लोगों की सांस्कृतिक एवं जातीय विशेषताओं की ओर बहुत कम ध्यान दिया। उनके शासन के दौरान अधिकतर प्रदेश बहु-भाषायी, बहु-धार्मिक तथा बहु जन-जातीय बने रहे।

17.2.2 बहु-सांस्कृतिक राज्य में सरकार

जिस राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक, भाषायी एवं सामाजिक समूहों के लोग रहते हों, उसको बहु-सांस्कृतिकी राज्य कहा जाता है। औपनिवेशिक शासकों को भी इस प्रकार के लोगों के साथ कार्य करना पड़ता था। वे भी लगातार लोगों की सांस्कृतिक एवं जातीय अभिलाषाओं की अवहेलना नहीं कर सकते थे। इसलिए उनको लोगों की सांस्कृतिक सीमाओं के साथ प्रादेशिक सीमाओं का सामंजस्य करना ही पड़ता था।

एक स्वतंत्र तथा लोकतांत्रिक राज्य में इस प्रकार का सामंजस्य करना और भी आवश्यक हो जाता है। ऐसी सरकार जो जनता की सहमति के आधार पर शासन करती हो वह भी लम्बे समय तक

उनकी भावनाओं की अवहेलना नहीं कर सकती है। जैसे-जैसे लोकतंत्र की जड़े गहरी होती जाती हैं वैसे ही इस प्रकार की अभिलाषाओं में वृद्धि होती है। इस प्रकार जनता के उपेक्षित हिस्से अपने महत्त्व को समझने लगते हैं, वे नए प्रदेशों का राज्यों की माँग करते हैं तथा वे नई सीमाओं और स्वायत्तता प्राप्त करने की इच्छा करने लगते हैं।

17.2.3 "तिरछी-काट विभेद" ("Cross-cutting Cleavages")

औपनिवेशिक सरकार एवं एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक सरकार के लिए "तिरछी-काट विभेद" एक सामान्य समस्या रही है। धार्मिक विभाजन भाषायी विभाजनों और यहाँ तक कि जन-जातीय विभाजनों के बावजूद भी होता है। तब सर्वोच्च सरकार के लिए यह और भी जटिल हो जाता है कि वह प्रादेशिक या राज्य की सीमाओं का निर्धारण कैसे करे। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना भारत को सम्पूर्ण 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में करना पड़ा और अन्त में उसका विभाजन हो गया। सबसे अधिक तिरछी-काट विभेद भाषा एवं धर्म के बीच है। जो लोग एक समान भाषा बोलते हों वे अलग-अलग धर्म के हो सकते हैं और जिनका धर्म एक ही हो वे भिन्न प्रकार की भाषा बोल सकते हैं।

बोध प्रश्न 1

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें।

1) वर्तमान समय में राज्य प्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) सबसे अधिक "तिरछी-काट विभेद" क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17.3 औपनिवेशिक अनुभव

अंग्रेजों ने भारत की विजय विभिन्न चरणों एवं खण्डों में की। जब तक उन्होंने भारत छोड़ा तब तक वे सम्पूर्ण उप-महाद्वीप विजय न कर सके थे। परिणामस्वरूप उन्होंने प्रशासन एवं नियंत्रण की भिन्न-भिन्न शैलियों को विकसित किया।

17.3.1 'अंग्रेज' एवं 'देशी' भारतीय

स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत 'ब्रिटिश भारत' तथा 'देशी भारत' में विभाजित था। ब्रिटिश भारत को गवर्नर के प्रांतों एवं मुख्य कमीश्नर के प्रांतों में विभाजित किया गया था। देशी भारत को दो रूपों में किया गया – (i) 566 देशी या राजाओं के राज्य आकार में भिन्न प्रकार के थे और वे भिन्न-भिन्न प्रकार से ब्रिटिश शासकों के सहायक थे, और (ii) ब्रिटिश भारत की उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्वी सीमाओं के बाहर 'जन-जातीय' क्षेत्र। यद्यपि ब्रिटिश भारत के बाहर के जन-जातीय क्षेत्र निश्चित रूप से भारत के गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में थे, फिर भी ब्रिटिश भारत के असम, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के ऐसे पिछड़े जिले थे जहाँ पर विशिष्ट जन-जातीय समूह रहते थे। बहुत जिलों को बहु-जन-जातीय समूहों से बनाया गया था। और जैसा प्रांतीय सीमाओं के निर्धारण में घटित हुआ वैसे ही कई जिलों की सीमाओं को बहुत से जन-जातीय समूहों के आर-पार बनाया गया।

17.3.2 प्रेसीडेन्सीज़ से प्रदेशों तक

प्रारंभ में ब्रिटिश प्रशासन को प्रेसीडेन्सीज अर्थात् इस्टइंडिया कम्पनी के बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसीडण्ट की सम्पति के रूप में संगठित किया गया। ये तीन प्रेसीडेंसियाँ थीं-बंगाल, बंबई तथा मद्रास। बंगाल सबसे बड़ी प्रेसीडेन्सी थी। जैसे-जैसे विजय अभियान चलता गया, वैसे ही ब्रिटिश सरकार नए प्रांतों का गठन करती गई।

बंगाल प्रेसीडेन्सी के अन्तर्गत वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम का एक भाग और बंग्लादेश आते थे। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 1904 में प्रशासनिक सुविधा के लिए इस प्रेसीडेन्सी का विभाजन किया था। उसने पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का एक प्रांत बनाया और दूसरा पूर्वी बंग्लादेश (सामान्यत: बंगाली भाषा बोलने वाले क्षेत्र का दो भागों में विभाजन किया) का अलग। सरकार ने अपनी कार्यवाही को धर्म के आधार पर अचेत ठहराया। पूर्वी बंगाल मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र था जबकि पश्चिम बंगाल हिन्दू बाहुल्य।

17.3.3 धर्म बनाम भाषा

बंगाली भावनाओं को भारी आघात पहुँचा। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस प्रयास को भारतीय राष्ट्र को दो विरोधी धार्मिक समूहों में विभाजित करना माना। भाषायी भावनाओं पर आधारित विभाजन विरोधी एक शक्तिशाली आंदोलन बंगाल में चला और सरकार को बंगाल विभाजन को वापस लेना पड़ा। परन्तु बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग कर उनको एक संयुक्त प्रांत में गठित कर दिया गया। 1936 में बिहार तथा उड़ीसा को अलग-अलग भाषायी प्रांतों में गठित किया गया।

ठीक इसी समय सरकार ने धार्मिक आधार पर सिंध प्रांत को बम्बई प्रेसीडेन्सी से अलग कर दिया। अंग्रेजों ने किसी विभाजन की अपेक्षा धार्मिक विभाजन को अधिक महत्त्वपूर्ण मानना जारी रखा और अन्तत: इसी आधार पर भारत का विभाजन कर दिया।

बोध प्रश्न 2

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें।

1) औपनिवेशिक काल में भारत को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था?

.....

.....

.....

.....

.....

2) 1905 में किस आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था? विवेचना करें।

.....

.....

.....

.....

.....

17.4 विभाजन के बाद भारत

1947 के विभाजन द्वारा असम, बंगाल और पंजाब प्रांतों के कुछ भागों को तथा सिंध, बलूचीस्तान एवं नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटीयर प्रोविंस पूरी तरह से पाकिस्तान को दे दिया गया था। दूसरी ओर 554 देशी राज्य भारत में शामिल हो गए। उत्तर-पूर्व का एक 'जन-जातीय' क्षेत्र भी भारत में शामिल हो गया।

17.4.1 प्रदेशों से राज्य तक

1950 में भारत के संविधान ने उन प्रांतों का पुनर्गठन किया जो औपनिवेशिक शासन के दौरान विद्यमान थे। भारत के संघ राज्य के अन्तर्गत इसने चार प्रकार के "राज्यों" का निर्माण किया। भूतपूर्व गवर्नर प्रांतों को भाग A राज्य घोषित किया गया। कुछ भूतपूर्व देशी राज्यों सहित मुख्य कमिशनर के प्रांतों— अजमेर, कूर्ग एवं दिल्ली को बेहतर प्रशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से सी राज्यों का भाग बनाया गया। दूसरे भूतपूर्व देशी राज्य तथा देशी राज्यों के समूह बी राज्यों के भाग बने और अण्डमान तथा निकोबार जैसे अति पिछड़े द्वीपों को डी राज्य का भाग बनाया गया।

भाग ए राज्यों को गवर्नरों के अधीन रखा गया जबकि भाग बी राज्यों को राज प्रमुखों के अधीन उनकी विधायिकायें होंगी। भाग ए राज्यों की एक मन्त्री परिषद होगी जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी जबकि भाग बी राज्यों की कार्यकारी परिषद होगी। भाग सी तथा भाग डी केन्द्र द्वारा शासित होगी। भाग ए तथा भाग बी राज्यों में गवर्नर तथा राज प्रमुख मन्त्री परिषद की सलाह का

अनुसरण करेंगे और इन्हें अधिकतम स्वयत्तता प्राप्त होगी। केंद्र द्वारा शासित राज्यों के पास कम से कम या बिल्कुल भी स्वायत्तता नहीं रहेगी।

17.4.2 पिछड़े क्षेत्र

ब्रिटिश भारत के जन-जातीय लोगों के पिछड़े क्षेत्रों का प्रशासन गवर्नरों की व्यक्तिगत सत्ता के अधीन रखा गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत इन क्षेत्रों का वर्गीकरण 'वर्जित' एवं 'आंशिक वर्जित' क्षेत्रों में किया गया। उनको पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका और प्रांतीय मंत्री परिषद् के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया।

'जन-जातीय क्षेत्रों', 'वर्जित क्षेत्रों' तथा 'आंशिक वर्जित क्षेत्रों' में पूरी तरह से (या अधिकतर में) जन-जातीय लोग रहते थे। परन्तु 'जंन-जातीय क्षेत्र' ब्रिटिश भारत से बाहर और पूर्णरूपेण स्वायत्त क्षेत्र थे। 'वर्जित क्षेत्र' या 'आंशिक वर्जित क्षेत्र' ब्रिटिश भारत के अधीन थे और उन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था।

बोध प्रश्न 3

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें।

1) 1950 में भारत के संविधान के अनुसार कितने प्रकार के राज्यों के निर्माण की घोषणा की गई?

.....

.....

.....

.....

.....

17.5 राज्यों का भाषायी पुनर्गठन

संविधान निर्मात्री सभा के कार्य करने के दौरान राज्यों को भाषायी आधार पर पुनर्गठित करने की माँग उठायी गई। परन्तु नेताओं का मानना था कि विभाजन के तुरन्त बाद भाषायी राज्यों का गठन और तनाव में वृद्धि कर सकता था। इसलिए निर्णय को स्थगित रखा गया। परन्तु भविष्य में नए राज्यों का निर्माण करने या पुराने राज्यों का विलय करने या इस प्रकार के राज्यों के भागों का विलय करने या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई।

17.5.1 आंध्र राज्य का निर्माण

संविधान बनने के तुरंत बाद ही आंध्र राज्य बनाने के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गया। आंध्र कांग्रेस के सम्मानित नेता पौत्ती श्रीरमालू ने भाषायी आधार पर आंध्र राज्य के निर्माण की माँग के लिए आमरण अनशन किया। इसके परिणामस्वरूप। अक्टूबर, 1953 को मद्रास राज्य से अलग कर आंध्र राज्य का निर्माण कर दिया गया।

17.5.2 1956 में राज्यों का पुनर्गठन

भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन इसके परिणामस्वरूप ज़ोर पकड़ने लगा। इसलिए सरकार ने 1953 में तीन सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। यह समझा गया कि आयोग भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तत्कालिक स्थिति और भाषा आदि की जाँच-पड़ताल करेगा। फाजुल अली, एच० एन० कुंजरू और के० एम० पाणिक्कर आयोग के सदस्य थे। आयोग ने दक्षिण में भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की सिफारिश की। आयोग ने अपनी रपट 1955 में दी। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का अधिनियम पारित किया गया।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने राज्यों के पुनर्गठन में कोई व्यापक फेरबदल नहीं किए। भूतपूर्व भाग बी के हैदराबाद राज्य को आंध्र राज्य के साथ सम्मिलित कर विशाल आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। भूतपूर्व भाग बी के मैसूर राज्य को मद्रास (तमिलनाडू) तथा बम्बई राज्यों के कुछ क्षेत्रों के साथ मिलाकर एक बड़े राज्य कर्नाटक में परिवर्तित कर दिया गया। भूतपूर्व भाग बी के ट्रावनकौर-कोचीन राज्यों को मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों के साथ विलय करने पर केरल नाम के राज्य का जन्म हुआ।

इस इकाई के उप-भाग 17.4.1 में आप पढ़ चुके हैं कि 1950 में भारतीय संविधान ने चार प्रकार के राज्यों को बनाया। 1956 में इसे घटाकर दो प्रकार के राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया (i) राज्य, और (ii) केन्द्र शासित प्रदेश। राज्यों की स्वायत्तता केन्द्र शासित प्रदेशों से कहीं अधिक व्यापक थी।

17.5.3 नए राज्यों का निर्माण

1955 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने कोई नंवीन राज्य बनाने की सिफारिश नहीं की थी। बल्कि आयोग ने भाषा के आधार पर भूतपूर्व देशी राज्यों का एकीकरण किया। आयोग बहुत से राज्यों के पक्ष में न था। यद्यपि इसने मध्यप्रदेश तथा उस समय के बम्बई राज्य के समीपवर्ती क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य विदर्भ को बनाने की सिफारिश की थी। परन्तु इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार न किया गया। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण कर बम्बई राज्य का विस्तार किया।

इसके कुछ समय पश्चात् नए राज्यों के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। 1960 में बम्बई राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों को बनाया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा, पंजाब तथा केन्द्रशासित प्रदेश को पंजाब के कुछ क्षेत्रों के साथ मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। भारत के विभिन्न भागों में अभी भी विदर्भ, गोरखालैण्ड, हरित प्रदेश और भीलवाड़ा जैसे राज्य बनवाने के लिए आंदोलन चल रहे हैं।

2000 के वर्ष में तीन नए राज्यों का निर्माण किया गया – मध्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से छत्तीसगढ़ का, बिहार के पर्वतीय क्षेत्रों से झारखण्ड और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से उत्तराखण्ड का। एक समय था जबकि बिहार तथा मध्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों पर आदिवासी लोगों का वर्चस्व कायम था, इनको अब सूचीबद्ध जनजातीय कहकर पुकारा जाता है। औद्योगीकरण तथा स्थानांतरण के कारण ये लोग अल्पमत में आ गए हैं। उत्तरांचल लगभग गैर-जनजातीय क्षेत्र हैं।

1972 के बाद से जितने भी नए राज्यों का निर्माण हुआ है उनको 'पर्वतीय राज्य' कहा जा सकता है।

17.5.4 उत्तर-पूर्वी भारत का पुनर्गठन

इसी बीच उत्तर-पूर्वी भारत के बहुत से पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के बीच स्वायत्तता के लिए आंदोलन काफी शक्तिशाली हो गए। 1960 में नागा पर्वतों के लिए एक अन्तरिम सरकार का गठन किया गया। 1963 में नागा राज्य का निर्माण हुआ। 1969 में असम के अंदर ही मेघालय एक 'स्वायत्त राज्य' बन गया। 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। असम राज्य के क्षेत्रों से अरुणाचल प्रदेश एवं मिज़ोरम नाम के दो केन्द्रशासित प्रदेशों को बनाया गया, जबकि मणिपुर एवं त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। सभी नई राजनीतिक पहचान वाले क्षेत्रों में अधिकतर सूचीबद्ध जनजातीय लोगों की जनसंख्या थी। सूचीबद्ध जन-जातियाँ भी कई समूहों में विभाजित हैं।

17.5.5 केन्द्र शासित क्षेत्रों के दर्जे में वृद्धि

1972 से 2000 तक किसी नए राज्यों का निर्माण नहीं किया गया बल्कि भारतीय संघ में सिक्किम शामिल हो गया। 1986 में अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम ने पूर्णरूपेण राज्यों का दर्जा प्राप्त किया। 1987 में गोआ को दमण तथा दीव से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया जबकि दमण तथा दीव केन्द्रशासित क्षेत्र बने रहे।

बोध प्रश्न 4

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें।

1) उन कारणों को बताइए जिनके परिणामस्वरूप दक्षिण भारत में भाषायी राज्यों का निर्माण हुआ।

.....

.....

.....

.....

.....

2) उत्तर-पूर्वी भारत के पुनर्गठन की प्रक्रिया का सारांश लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17.6 विश्लेषण एवं निष्कर्ष

पूर्ण राज्य की माँग का कारण मुख्यत: सत्ता एवं लाभ तथा अस्मिता के दो विचारों से संबंधित है।

17.6.1 राज्य का दर्जा प्राप्त करने की शक्ति एवं लाभ

भारत के संघीय ढाँचे के अंतर्गत राज्यों के पास विशाल शक्तियाँ हैं। अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण है। राज्य बड़ी संख्या में अधिकारियों, सहायक कर्मचारियों एवं अध्यापकों की नियुक्ति करता है और इनके अतिरिक्त मंत्रियों, एम० एल० एज़० एवं एम० एल० सीज़०, कौंसिलर्स, कमेटी सदस्यों तथा पंचायत अधिकारियों जैसे बहुत से राजनीतिक पदों की रचना करती है। वे बैंकिंग सहित स्थानीय व्यापार एवं व्यवसाय पर नियंत्रण करते हैं। इसलिए पूर्ण राज्य किसी भी सामूहिकता के लिए एक बड़ी अभिलाषा है।

17.6.2 अस्मिता एवं राज्यवाद

राज्यवाद एक सामूहक अभिलाषा है और सामूहिकता स्वयं में एकात्मकता है। एक सामूहिक अस्मिता सांस्कृतिक अस्मिता होती है। संस्कृति की धर्म तथा भाषा दो बड़ी धाराएँ हैं। 1947 के विभाजन के बाद भाषा संस्कृति की मुख्य वाहक बनी। भाषा पूर्ण आधिपत्य का मुख्य औज़ार है। ऐसे भाषायी समूह जो दूसरे भाषायी समूहों के प्रभुत्व को सहन न करते हों तब वे पूर्ण राज्य के रूप में स्वायत्तता की माँग करते हैं।

17.7 सारांश

औपनिवेशिक शासन के दौरान क्षेत्रीय प्रशासन मुख्यत: शासकों की सुविधा पर आधारित था न कि जनता की सांस्कृतिक भावनाओं पर। धर्म एवं भाषा संस्कृति की ऐसी दो धाराएँ हैं जो अक्सर एक-दूसरे के आर-पार जाती हैं। औपनिवेशिक शासकों ने भाषा की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्त्व दिया और 1947 में देश का विभाजन कर दिया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने धर्म की अपेक्षा भाषा को अधिक महत्त्वपूर्ण माना। उन्होंने भारत का पुनर्गठन भाषायी आधार पर किया जो अब लगभग पूर्ण हो चुका है। फिर भी अन्तर्राज्य सीमाओं तथा जनजातीय क्षेत्रों में पूर्ण राज्य की माँग जारी है। पूर्ण राज्य की माँग एक राजनीतिक माँग है क्योंकि यह शक्ति एवं लाभ का स्रोत है।

17.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

पॉल आर० ब्रास, *लेंगुवेज़ रिलिजन एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया*, नई दिल्ली, विकास प्रकाशन,1975.

शिवानी किंकर चौबे, *कॉन्स्टीट्यूएंट एसेम्बली ऑफ इण्डिया, स्परिंग बार्ड ऑफ रीवोल्यूशन, मनोहर 2000.*

—— *हिल पॉलीटिक्स इन नॉर्थ इस्ट इण्डिया*, कलकत्ता आरिएण्ट लोंगमैन 1973.

—— ऐथनीसिटी एण्ड डायनेमिक्स ऑफ फ़ेडरेलिज़्म इन इण्डिया इन अमल कुमार मुखोपाध्याय (सम्पादक), *दी पॉलिटिकल मिसलेनी, ऐसेज इन मेमोरी ऑफ प्रोफेसर रमेश चन्द्र घोष, कलकत्ता*, के०पी० बाग्ची एण्ड कम्पनी, 1986

17.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) सांस्कृतिक सीमाएँ तथा प्रादेशिक सीमाएँ असंगत है।

2) सबसे अधिक "तिरछी-काट" विभेद भाषा एवं धर्म के मध्य है।

बोध प्रश्न 2

1) भारत को दो प्रकार के प्रांतों में विभाजित किया गया, अर्थात् "ब्रिटिश भारत" और "देशी भारत"।

2) 1905 में बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर किया।

बोध प्रश्न 3

1) चार प्रकार राज्यों के भाग हैं – ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य और डी राज्य।

बोध प्रश्न 4

1) पोत्तालि श्रीरामालू द्वारा आमरण अनशन और 1955 के राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें।

2) देखें इस इकाई के उप-भाग 17.5.4 को।